

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी

प्रलिस के लिये:

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, मौलिक अधिकार, इन वटिरो फर्टिलाइजेशन

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार बनाने हेतु व्यक्तिगत पसंद एक मौलिक अधिकार है और इसके लिये ऊपरी आयु सीमा तय करना प्रतबंधित जैसा है, अतः इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

संबंधित मुद्दा:

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी [Assisted Reproductive Technology- ART] (वनिधिमन) अधिनियम, 2021 के तहत महिलाओं के लिये 50 वर्ष और पुरुषों हेतु 55 वर्ष की आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायालय ने नरिदेश पारित किया है।
 - याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, ART अधिनियम की धारा 21 (G) के तहत ऊपरी आयु सीमा का नरिधारण तरकहीन, मनमाना, अनुचित और प्रजनन के उनके अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
 - याचिकाकर्त्ताओं ने इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की।
- उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड को केंद्र सरकार को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये नरिधारित ऊपरी आयु सीमा पर फरि से विचार करने की आवश्यकता के बारे में सचेत करने का नरिदेश दिया है।
- इसके अलावा याचिकाकर्त्ताओं ने उस प्रावधान को भी चुनौती दी है जिसमें चकित्सकों को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के दायरे में लाया गया है और अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है।
 - ये प्रावधान देश भर में IVF चकित्सकों को डरा रहे हैं, उन्हें मुकदमा चलाए जाने के डर से अपने पेशेवर दायित्वों को पूरा करने से हतोत्साहित कर रहे हैं।

ART (वनिधिमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधान:

- कानूनी प्रावधान:
 - नेशनल अससिटेड रप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड की स्थापना वर्ष 2021 के ART (वनिधिमन) अधिनियम द्वारा सरोगेसी कानून को लागू करने की एक वधि के रूप में की गई थी
 - इस अधिनियम के उद्देश्यों में ART क्लीनिक और बैंकों का वनिधिमन एवं नरिक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम तथा ART सेवाओं से संबंधित सुरक्षित और नैतिक प्रावधान शामिल हैं।
- ART:
 - इस अधिनियम के अनुसार, ART से तात्पर्य उस वधि से है जिसमें गर्भावस्था के लिये किसी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्मकों (Gametes) को स्थानांतरित किया जाता है। इनमें जेस्टेशनल सरोगेसी, इन वटिरो फर्टिलाइजेशन (IVF) और युग्मक दान (शुक्राणु या अंडे का) शामिल हैं।
 - ART सेवाएँ नमिनलखित माध्यम से प्रदान की जाएंगी: (i) ART से संबंधित उपचार और प्रक्रियाएँ प्रदान करने वाले ART क्लीनिक और (ii) ART बैंक, जो युग्मक (Gametes) का संग्रह, जाँच और भंडारण करते हैं।
- दाताओं के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:
 - सीमेन प्रदान करने वाले पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष तथा अंडाणु दान करने वाली महिला की आयु 23-35 वर्ष के बीच होनी चाहिये। महिला द्वारा अपने जीवनकाल में केवल एक बार अंडाणु दान किया जाएगा तथा दान किये जाने वाले अंडाणुओं की अधिकतम संख्या 7 होगी। कोई बैंक एकल दाता के युग्मक को एक से अधिक कमीशनगि पार्टी (युगल अथवा आकांक्षी एकल महिला) को नहीं दे

सकता है।

■ **संबंध शर्तें:**

- केवल कमीशनगि पार्टियों (वह व्यक्ति जो नैदानिक परीक्षण शुरू करने, नरिदेशित करने या वित्तपोषण करने का प्रभारी होता है) और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही ART उपचार किया जा सकता है। दाताओं की सुरक्षा (किसी भी नुकसान, क्षति या मृत्यु की स्थिति) के लिये कमीशनगि पार्टी को बीमा संबंधी प्रबंधन करना आवश्यक होता है।

■ **ART से पैदा हुए बच्चे के अधिकार:**

- ART से पैदा हुए बच्चे को दंपति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाएगा और प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे के समान सभी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के लिये पात्र माना जाएगा। दाता (Donor) का बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा।

■ **कमियाँ:**

- अवविहति और वषिमलैंगिक(Heterosexual) जोड़ों का बहिष्कार:

- यह अधिनियम अवविहति, तलाशुदा और वधिर पुरुषों, अवविहति रूप से सहवास करने वाले वषिमलैंगिक जोड़ों, ट्रांस व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों (चाहे विविहति या साथ रहने वाले) को ART सेवाओं का लाभ लेने से वंचित करता है।
- यह बहिष्करण प्रासंगिक है क्योंकि सुरोगेसी अधिनियम उपरोक्त व्यक्तियों को प्रजनन की एक वधि के रूप में सुरोगेसी का सहारा लेने से भी मना करता है।

- प्रजनन विकल्पों को कम करना:

- यह अधिनियम उन कमीशनगि (Commissioning) जोड़ों तक भी सीमित है जो बाँझ हैं - जो असुरक्षित सहवास के एक वर्ष के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार यह उपयोग हेतु सीमित है और बाहरी लोगों के प्रजनन विकल्पों को काफी कम कर देता है।

- अनयंत्रित कीमतें:

- सेवाओं की कीमतें अनियमित नहीं हैं, इस समस्या को निश्चित रूप से सरल निर्देशों के साथ दूर किया जा सकता है।

आगे की राह

- अनिवार्य परामर्श स्वतंत्र संगठनों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये, न कि क्लिनिक नैतिकता समितियों द्वारा।
- सभी ART निकायों के लिये राष्ट्रीय हति, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों के निर्देश बाध्यकारी होने चाहिये।
- लाखों लोगों को प्रभावित करने से पहले उठाए गए सभी संवैधानिक, चिकित्सा-कानूनी, नैतिक और नियामक चर्चाओं की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस